

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –104 / 2024

अन्तर्गत

अपील संख्या–339 / 2024

देवेन्द्र कुमार जांगिड़

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

- श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पलसाना, जिला परिषद सीकर हाल पदस्थापित सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पलसाना, जिला परिषद, सीकर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2024

उपस्थित :-

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

- अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत इस अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस अधिकरण के आदेशों की पालना में अपीलार्थी को कार्य ग्रहण करवाया जा चुका है। कार्य ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में दस्तावेज अनुलग्नक–आर/2 में प्रस्तुत किये गये हैं।
- प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस अधिकरण के आदेशों की पालना की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अवमानना याचिका में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)

सदस्य

(अनन्त भंडारी)

सदस्य (न्यायिक)